<u>न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, प्रथम, अम्बेडकर नगर।</u>

फौजदारी निगरानी वाद सं0 71/2025
UPAN010018402025

ईश्वर सहाय आदि–प्रति–राज्य सरकार व आदि थाना–जलालपुर

दिनांकः–
18.10.2025

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण ईश्वर सहाय आदि की ओर से प्रस्तुत निगरानी सं0 71/2025 में प्रार्थना पत्र कागज सं0 20ब/1 मय शपथ–पत्र 21ब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण उक्त निगरानी में निगरानीकर्तागण हैं। प्रार्थीगण ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2025 को प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अवर न्यायालय की पत्रावली वापस प्रेषित हो और नियत तिथि को पत्रावली तलब हो। इसके बावजूद भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पत्रावली को अवर न्यायालय वापस भेज दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ए0सी0जे0एम0 महोदय द्वारा दिनांक 10.10.2025 को एन0बी0डब्लू0 निगरानीकर्तागण के विरूद्ध थाना मालीपुर को प्रेषित किया गया, जबकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सुनवायी हेतु विचारण न्यायालय की पत्रावली दिनांक 28.05.2025 से तलब होने का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद भी अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2025 जरिये एन0बी0डब्लू0 दिनांक 02.07.2025 को तलब हो और दूसरा एन0बी0डब्लू0 दिनांक 10.10.2025 को जरिये एन0बी0डब्लू0 दिनांक 29.10.2025 तलब हो ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी के निस्तारण हेतु अवर न्यायालय द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0 थाना–मालीपुर, जिला अम्बेडकर नगर से वापस मंगाया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि फौ0 निगरानी 71/2025 की सुनवायी हेतु अवर न्यायालय द्वारा भेजा गया एन0बी0डब्लू0 थाना–मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर से वापस मंगवाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें, जिससे उक्त निगरानी का गुणदोष के आधार पर निस्तारण हो सके।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.04.2025 के विरूद्ध योजित की गई है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त फौजदारी निगरानी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 18.09.2025 के अनुपालन में इस न्यायालय को दिनांक 23.09.2025 को प्राप्त हुई है। निगरानीकर्तागण का कथन है कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.09.2025 को यह आदेश पारित किया गया था कि अवर न्यायालय की पत्रावली वापस प्रेषित हो और नियत तिथि (24.09.

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2025.10.18 16:07:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2025) को पत्रावली तलब हो, इसके बावजूद भी पत्रावली को अवर न्यायालय वापस भेज दिया गया और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगारनीकर्तागण के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निगर्त किये गये, जिन्हें वापस मंगाया जाने की याचना की गई है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त फौजदारी निगरानी वाद में विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की गई है तथा उक्त फौजदारी निगरानी निस्तारण हेतु दिनांक 23.09.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। निगरानीकर्तागण के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये हैं वह उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं और निगरानीकर्तागण को इस संबंध में विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। प्रस्तुत फौजदारी निगरानी विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.04.2025 के विरूद्ध योजित की गई है जोकि इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार मूल पत्रावली में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित गैर जमानतीय अधिपत्रों के बावत निर्गत आदेशिकाओं के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र कागज सं0 20ब/1 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 20ब/1 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो।

दिनांकः—18.10.2025

(राम विलास सिंह)
प्रभारी, अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम
अम्बेडकर नगर।
JO CODE No.UP6067